	मे वकील प्रतिवादी बहस हेतु [illegible] अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र धारा 10-CPC मे दिनांक 5-12-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
5-12-24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी के परिवार मे शादी होने से अवसर चाहते है अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र धारा 10-CPC मे दिनांक 2-1-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
2-1-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी बहस हेतु अवसर चाहते है अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र मे दिनांक 8-1-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
8-1-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रतिवादी बहस हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र मे दिनांक 22-1-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
22-1-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की प्रा. पत्र धारा 10-CPC पर बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 30-1-25 को पेश हो।
30-1-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई. प्रकरण मे वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र धारा 10 जा. दी. का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली मे प्रा. पत्र धारा 10 जा. दी. का स्वीकार किया जाकर प्रकरण की कार्यवाही स्थागित कि जाने से पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)

पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

[illegible] संख्या :- 77/2018

[illegible] उर्फ रामलाल पिता गिरधारीलाल [illegible] निवासी बिछार तह0 बेगूँ — बनाम — धन्ना लाल पिता गिरधारीलाल वगै निवासी बिछोर तह0 बेगूँ

दावा अ0धा0 53-88 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :- श्री इफ्तेखार अजमेंरी
अधिवक्ता प्रति.(प्रार्थी)
श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादी(अप्रार्थी)

आदेश दिनांक :- 29.01.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व्यवहार प्रकिया संहिता

दावा पत्रावली में अधिवक्ता प्रतिवादी श्री अजमेंरी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया है कि वाद वर्णित आराजी को लेकर वाद प्रस्तुत किया है, इस संबंध में भी पूर्व मे वर्ष 2014 में प्रतिवादी शंकरलाल की तरफ से एक वाद प्रस्तुत किया गया है जिस के प्रकरण संख्या 145/2014 है इस का अनवान शंकरलाल बनाम रामपाल उर्फ रामलाल वगै है।

यह कि यह पश्चातवर्ती वाद पूर्व के वाद की आराजी को लेकर प्रस्तुत किया गया है और समान पक्षकार होने से प्रकरण धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता के अनुसार चलने योग्य नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में इस वाद के स्थिगित फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अधिवक्ता वादी(अप्रार्थी) ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दोनो पक्षो के मध्य ववाद विचाराधीन होने का कथन सही है किन्तु दोनो वाद की प्रकृति भिन्न भिन्न है। यह प्रार्थना पत्र गलत होकर अस्वीकार है। इस बाबत प्रतिवादी ने अपने जवाब वाद में कथन किया हुआ जिस पर विवाद्यक विरचित होकर निर्णय होना है। साथ ही दोनो प्रकरणो का संयुक्त विचारण भी किया जा सकता है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त फरमाया जावे एवं विकल्प में दोनो वादो को समकित किया जाकर साथ साथ सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री अजमेंरी ने अपनी बहस में प्रर्थना पत्र अनुसार निवेदन करते हुए कहा कि उपरोक्त प्रकरण की विषयवस्तु/विवाद्यक एक होने से धारा 10 प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बाद वाले वाद को खारीज फरमाया जावें। जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी श्री मंत्री ने अपनी बहस में निवेदन जवाब अनुसार ही करते हुए कहा कि आराजी समान है यह दावा धारा 53 का है मेरा हिस्सा अलग करवाने हेतु यह दावा लाया गया है। जब पूर्व के वादपत्र में इस बाबत विवाद्यक बना है तो उसमें निर्णय किया जा सकता है या इस दावा को उसके समेकित किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा बहस सुने जाने के पश्चात दावा संख्या 145/2014 व अनवान शंकरलाल बनाम रामपाल एवं इस दावा पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। सिविल प्रकिया संहिता (सीपीसी) 1908 की धारा 10 के तहत पूर्ववर्ती व पश्चातवर्ती वाद में विवाद की मुख्य विषयवस्तू समान होने पर पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही स्थगित किये जाने के प्रावधान है।

न्यायालय को पूर्ववर्ती व पश्चातवर्ती वाद के वादी व प्रतिवादी के अभिकथनों को सारतः समझते हुए विवाद के मुख्य विषयवस्तु का चिन्हीकरण किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

उक्त दोनो ही वादपत्रो कमशः 145/2014 एवं 77/2018 में आराजी एवं अनवान एक ही समान होकर 11/2018 मे वादी रामपाल उर्फ रामलाल जो कि 145/2014 दावे में प्रतिवादी होकर इसके द्वारा अपने हिस्से का विभाजन चाहा है जो कि पूर्ववर्ती दावे में प्रतिवादपत्र के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता था।

हस्तगत प्रकरण में पूर्ववर्ती व पश्चातवर्ती वाद की मुख्य विषयवस्तु का चिन्हीकरण किये जाने के पश्चात न्यायालय उक्त दोनो दावो में विषयवस्तु की समानता पाता है।

अतः आदेश है कि प्रतिवादी का सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दावा संख्या 77/2018 रामपाल उर्फ रामलाल बनाम धन्नालाल वगै. की कार्यवाही स्थगित करने के आदेश दिये जाते है।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू